रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2005, 25 भाद्रपद, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-9, 20 अगस्त, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5)/57/9715089-95.—यह कि उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा श्री रूप चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत घलूं, विकास खण्ड नदौन, जिला हमीरपुर के पद से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य-कलाप के फलस्वरूप उनके कार्यालय आदेश सं0 690-97 दिनांक 20-2-2004 द्वारा निलम्बित किया गया था ;

यह कि उपायुक्त, हमीरपुर द्वारा मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), नदौन, जिला हमीरपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, हमीरपुर के माध्यम से दिनांक 24-5-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी

2217-राजपत्र/2005-16-9-2005—1,462 मूल्य : 1 रुपया।

से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप श्री रूप चन्द, प्रधान के विरुद्ध सिद्ध पाये गये उनका विवरण निम्न है :

1. दिनांक 11-9-2002 तथा दिनांक 26-9-2002 को कार्यवाही रजिस्टर अनुसार उपस्थिति 3/7 होने के कारण कोरम अपूर्ण रहने पर भी उन द्वारा बैंक खातों से राशि की निकासी की गई है। पंचायत की कार्यवाई रजिस्टर के पृष्ठ-170 प्रस्ताव संख्या-4 व 5 बाद में तथा कार्यवाही हाशिये से बाहर लिखे गये हैं।

2. वर्ष 2002-03 में 11वें वित्तायोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि को स्वीकृत स्कीमों के अनुसार व्यय न करके इसे अपनी मनमर्जी से सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अन्य स्कीमों पर व्यय किया गया है।

3. वर्ष 2002-03 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की स्कीमों अनुसार व्यय न करके अवैध रूप से व अपनी मनमर्जी से हैण्ड पम्प कुंआ साई पर व्यय किया गया।

4. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का मु0 11,400/-रु0 दिनांक 28-10-2002 को निकालकर एवं पंचायत से अग्रिम बाबत निर्माण प्राप्त करके इस राशि का दिनांक 29-10-2002 से 6-2-2003 तक निजी प्रयोग करके इस सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है। श्री रूप चन्द, प्रधान के ब्यान अनुसार कार्य आरम्भ होते ही बन्दारों ने झगड़ा डाल दिया जिससे कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हो गया। यदि बन्दारों ने झगड़ा डाला था तो श्री रूप चन्द, प्रधान को चाहिए था कि निकाली गई राशि बैंक में जमा करवाते। इस प्रकार श्री रूप चन्द, प्रधान ने धनराशि अपने पास रख कर राशि का दुरुपयोग किया। प्रधान ने मु0 1517/-रु0 ब्याज के रूप में जमा करवाये हैं।

यह कि श्री रूप चन्द द्वारा बरती गई उपरोक्त विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (ख) के अन्तर्गत दिनांक 25-6-2005 को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

अतः यह कि श्री रूप चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत, घलूं द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 16-7-2005 को इस कार्यालय को प्रस्तुत किया। श्री रूप चन्द द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई है क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके दृष्टिगत श्री रूप चन्द, प्रधान ग्राम पंचायत, घलूं को विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्य-कलाप के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(ख) के अन्तर्गत अवचार के दोषी पाये गये हैं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं का प्रयोग करते हुए श्री रूप चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत घलूं, विकास खण्ड, नदौन, जिला हमीरपुर को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित किया जाता है।

शिमला-9, 30 अगस्त, 2005

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए0 (5) 23/93-15798-804.—यह कि कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, धर्मपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार पंचायत समिति, धर्मपुर की विशेष बैठक अध्यक्ष, पंचायत समिति धर्मपुर के

विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बारे दिनांक 18-1-2005 को प्रातः 11.00 बजे रखी गई थी परन्तु पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश चन्द, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, धर्मपुर बैठक में उपस्थित नहीं हुए जबकि बैठक का नोटिस स्वयं उपाध्यक्ष, पंचायत समिति धर्मपुर द्वारा ही दिया गया था । उपाध्यक्ष ने बैठक में आने की असमर्थता बारे न तो कोई सूचना दी तथा न ही वह इस दिनांक को पंचायत समिति कार्यालय में आये । पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण बैठक विघटित हुई । इस प्रकार उपाध्यक्ष, पंचायत समिति धर्मपुर जिन्होंने उपरोक्त अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक रखी थी परन्तु स्वयं बैठक में उपस्थित न होकर अपने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती है ।

यह कि उपायुक्त, सोलन द्वारा दिनांक 21-2-2005 को उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, धर्मपुर को कर्त्तव्य निर्वहन में बरती गई लापरवाही बारे कारण स्पष्ट करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (ख) के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु मामला सरकार को भेजा जाये ।

यह कि श्री जगदीश चन्द, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति धर्मपुर द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 2-3-2005 को प्रस्तुत किया तथा सूचित किया कि वह उक्त तिथि को अपनी बीमारी के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे परन्तु उन द्वारा कोई भी चिकित्सा प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 की उप-धारा (1-क) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री जगदीश चन्द, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति धर्मपुर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को भविष्य में अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित